पट्टा एवं विक्रय प्रलेख

यह पट्टा एवं विक्रय प्रलेख आज दिनांक 14th माह क्रिक्ट माह क्रिक्ट वर्ष एक हजार नौ सौ पि को एक ओर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 (वर्ष 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6) की धारा-3 के अन्तर्गत गठित नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो एतद्पश्चात "प्राधिकरण" नामांकित होगा तथा इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी व अभिहस्तांकित भी सम्मिलित होगें तथा दूसरी ओर पि क्रिक्ट प्राधिकरण प्राधिकरण

Stageline

उक्त भवन जिसका विवरण अनुसूची (1) में उल्लेखित है प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिमहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिमहीत औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु विकसित भूमि पर निर्मित आवासीय भवन का भाग है।

हितीयपक्ष ने प्राधिकरण की योजना में <u>र्राप्टर्सिक्टर्स</u> श्रेणी के फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन किया है तथा प्राधिकरण द्वारा निम्न धारा 3(1) में वर्णित निर्धारित मूल्य पर तथा तरपश्चात् उल्लेखित नियमों व विनियमों के अन्तर्गत मात्र आवासीय उपयोग हेतु क्रय करने तथा भवन से संबंधित अनुपातिक भूमि के पट्टाधृत अधिकारों का अंतरण करने को सहमत है।

1(1). द्वितीय पक्ष ने सुनिश्चित कर लिया है कि वह इस योजना में पंजीकरण हेतु जारी विवरण पत्रिका में वर्णित आबंटन की पात्रता के अन्तर्गत अर्ह है तथा प्राधिकरण की मांग पर इसे सिद्ध करने हेतु अपनी पूर्ण सहमति तथा स्वीकृति प्रदान करता है।

1(2). पूर्विलिखित विधिक प्रलेखों के निष्पादन के परचात् भी यदि किसी जाँच के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि (जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा) द्वितीयपक्ष द्वारा मूल आवेदन पत्र में या भवन के आबंटन व कब्बे से संबंधित अन्य पत्र व्यवहार में कोई असत्य/कपटपूर्ण/मिष्ट्यापूर्ण विवरण दिया है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों का जानबूझ कर प्राधिकरण से शपच पर असत्य कथन किया है अथवा छल करने व छलपूर्वक भवन का आबंटन व कब्बा प्राप्त करने उद्देश्य से महत्वपूर्ण तथ्य छुपायें है, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि भवन का आबंटन तथा विधिक प्रलेख निरस्त कर दें, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा समस्त धनगाश जब्ब करतें तथा द्वितीय पक्ष को भवन से निष्कासित करके कब्बा ले ले। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की जालसाजी अथवा मिथ्या निरूपण पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।

Aus!

J354.~